

फैद अहकाम  
(नियम 26)

लत \_\_\_\_\_ मुकाम \_\_\_\_\_  
 कदमा \_\_\_\_\_ बनाम \_\_\_\_\_  
 नं. \_\_\_\_\_ सन् \_\_\_\_\_

रीख कम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2024	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री...<u>दरिशा कृष्ण शर्मा</u>...                      ने विरुद्ध विपक्षीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212                      रा0का0अधि0 का प्रस्तुत किया जो बाद जांच दर्ज रजिस्टर                      किया गया। विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया                      जावे। पत्रावली देख तामीली रिपोर्ट एवं जवाब दिनांक.  <u>30/7/2024</u> को पेश हो</p> <p style="text-align: center;"><u>30/07/24</u>                      उपखण्ड अधिकारी                      डूंगला</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी <del>वकील प्रार्थी</del>  <del>के द्वारा</del> वकील प्रार्थी ने उपरि                      को नोट प्रेश किया गया। वकील एवं                      प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रकरण को भागे                      चलाना नहीं चाहते हैं। अतः प्रार्थी का                      प्रार्थना पत्र नोट प्रेश में स्वीकृत किया                      जाता है। पत्रावली के तलब शुभाट बेक                      नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: center;"><u>30/07/24</u></p>	<p>30/7/24</p> <p>Not possible H. S. ...</p>

